# न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 61/2021/अपील/एलआरएक्ट/बारां कोर्ट कैंप
दायरा दिनांकः 21.01.2021
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

**उनवान**

ओमप्रकाश पुत्र प्रभुलाल जाति मेघवाल, निवासी दोलतपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

...अपीलार्थी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरपत सिंह राजावत, अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

**::निर्णय::**

**दिनांक 02.05.2025**

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 368/2016 बउनवान ओमप्रकाश बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 337/2015 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 06.04.2015 से अपीलार्थी को वाके ग्राम दोलतपुरा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2071 में खसरा संख्या 139 की 0.40 है0 भूमि पर फसल सरसों की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 200/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2019 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपील खारिज की गयी है, जबकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत् पत्रावलियों में कोई साक्ष्य या रिकोर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पर गौर नहीं किया कि अपीलार्थी द्वारा आराजीयात से कब्जा छोड़ दिया है तथा तावान राशि संपूर्ण जमा करवा दी गयी है। इस प्रकार अपीलार्थी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत् पत्रावलियों में कोई साक्ष्य या रिकोर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात से कब्जा छोड़ दिया है तथा तावान राशि संपूर्ण जमा करवा दी गयी है। इस प्रकार अपीलार्थी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा अपीलार्थी की ग्राम दोलतपुरा की सरकार भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2071 में खसरा संख्या 139 की 0.40 है0 भूमि पर फसल सरसों की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 200/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 06.04.2015 पारित किया गया है। न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा भी न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण सं0 337/15 में धारा 91 अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 06.04.2015 को यथावत रखे जाने का निर्णय दिनांक 14.08.2019 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई। अतः अपील खारिज की जावे।

5 प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा मियाद कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के निर्णय की जानकारी दिनांक 03.12.2020 को पुलिसकर्मी द्वारा दिये जाने पर हुई तथा नकल प्राप्त की जाकर अपील प्रस्तुत की गई, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमायी जावे। प्रकरण में रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 337/2015 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 06.04.2015

से अपीलार्थी को वाके ग्राम दोलतपुरा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2071 में खसरा संख्या 139 की 0.40 है0 भूमि पर फसल सरसों की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 200/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2019 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाजा में अपीलार्थी का तर्क रहा है कि अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत् पत्रावलियों में कोई साक्ष्य या रिकोर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात से कब्जा छोड़ दिया है तथा तावान राशि संपूर्ण जमा करवा दी गयी है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा यह वर्णित किया गया है कि उसके द्वारा प्रकरण में जुर्माना राशि जमा करवा दी गई है तथा वर्तमान में कोई कब्जा प्रश्नगत आराजी पर अपीलार्थी का नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील स्वीकार कर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 14.08.2019 अपास्त किया जाता है एवं न्यायालय तहसीलदार, बारां के निर्णय दिनांक 06.04.2015 से अपीलार्थी की 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्डादेश को निरस्त किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा